डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 29/2025-26 के मुख पृष्ठ, प्राधिकरण के निर्णयों का सार और आदेश के पृष्ठ 1, 103 और 104 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा /20010/एम.वाई.टी.पी./जी.ए.एल./कार्गो/मोपा-गोवा/सीपी-I/2022-23

आदेश संख्या 29/2025-26

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा (जीओएक्स) में जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड (जी.ए.एल) के संबंध में कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 27.03.2026

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

अध्याय 12. प्राधिकरण के निर्णयों का सार

जीएएल के लिए मोपा**,** गोवा हवाईअड्डे पर इसकी कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में टैरिफ निर्धारण से संबंधित प्रासंगिक अध्यायों के संबंध में प्राधिकरण के निर्णयों का सार नीचे उल्लिखित है:

अध्याय संख्या	**पैरा**	**प्राधिकरण के निर्णयों का सार**	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या **2**	2.4.1	जीएएल मोपा, गोवा के संबंध में कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए "लाइट टच" विनियामक एप्रोच को अंगीकार करना।	14
अध्याय संख्या **3**	3.45.1	तालिका 13 के अनुसार पूंजीगत परिवर्धनों को मानना ।	41
	3.45.2	तालिका 17 के अनुसार वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।	
	3.45.3	तालिका 20 के अनुसार आरएबी को मानना।	
	3.45.4	तालिका 21 के अनुसार एफआरओआर को मानना।	
	3.45.5	तालिका 22 के विवरण के अनुसार ओ एंड एम खर्च को मानना।	
	3.45.6	तालिका 28 के अनुसार एआरआर और कम वसूली को मानना तथा इस कमी को प्रथम नियंत्रण अवधि के एआरआर में समायोजित करना।	
अध्याय *संख्या* 4	4.5.1	मोपा, गोवा हवाईअड्डे पर जीएएल के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 29 के अनुसार कार्गो वाल्यूम (मात्रा) को मानना।	44
अध्याय संख्या **5**	5.14.1	तालिका 34 के अनुसार आरएबी के पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।	51
	5.14.2	तालिका 37 के अनुसार मूल्यह्रास को मानना।	
	5.14.3	तालिका 40 के अनुसार औसत आरएबी को मानना।	
अध्याय संख्या **6**	6.6.1	जीएएल के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 53 के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को मानना1	64
अध्याय संख्या **7**	7.5.1	प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए अनुलग्नक-I के अनुसार बीयूपी के लिए एएफएस से संबंधित टीएसपी प्रभारों को मानना।	70
अध्याय संख्या ***8***	8.5.1	जीएएल के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 55 के अनुसार 12.21% की दर से एफआरओआर को मानना।	73
अध्याय संख्या **9**	9.5.1	जीएएल द्वारा मोपा, गोवा हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में तालिका 58 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर को मानना।	76
अध्याय संख्या **10**	10.5.1	जीएएल द्वारा मोपा, गोवा हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में तालिका 61 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानना।	81
अध्याय संख्या **11**	11.11.1	प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 67 के अनुसार अनुमानित राजस्व को मानना।	103
	11.1.2	प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए संलग्नक--**I** के अनुसार कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ को मानना।	

अध्याय 13 : आदेश

प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, गोवा में कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29) के संबंध में अनुलग्नक- **I** के अनुसार 01.04.2026 से संशोधित टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) इसमें निर्धारित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ हैं। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iii) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरों में सभी लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(iv) मैसर्स जीएएल मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक टैरिफ वर्ष के अंत में वार्षिक लेखा-परीक्षित खातों सहित, वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करेगी।

(v) मैसर्स जीएएल, मोपा, गोवा के संबंध में हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश के अनुसार अनुमोदित टैरिफ दरों को, सभी हितधारकों की जानकारी के लिए, अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी।

(vi) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)

सेवा में,

श्री राजेश अरोड़ा,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी -बीडी, जेवी और एड्जेसीज़
जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड,
न्यू उड़ान भवन, टर्मिनल 3 के सामने,
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली-**110037.**

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. श्री आर.वी. शेषन, सीईओ, गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, तालुका परणेम, मोपा, उत्तरी गोवा - 403512.